न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 582/2023

अनवान : –

1. देव कृष्ण कुमार पुत्र गंगा बिशन जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. गंगाबिशन पुत्र प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मनोज पुत्र गंगाबिशन जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. तनीषा पुत्री गंगाबिशन जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

5. रामी देवी पत्नी प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. लीलाधर पुत्र प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. गीता देवी पुत्री प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. कलावती पुत्री प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. सुनीता पुत्री प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. सन्तोष पुत्री प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. कान्ता देवी पुत्री प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 28/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 99/99 की कुल 5.9120 हैक्ट भूमि मृतक पिरागचन्द पुत्र अनुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पिरागचन्द पुत्र अनुराम के से दर्ज है जो कि वादी का दादा है पिरागचन्द पुत्र अनुराम का देहान्त हो चुका है पिरागचन्द पुत्र अनुराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 11 है जो पिरागचन्द पुत्र अनुराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 जो की वयोवृद्ध व्यक्ति है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहता है अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में परित्याग कर चुका है प्रतिवादी संख्या 3 जो की प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है उक्त वाद भूमि मे कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है व प्रतिवादी संख्या 2 जो की वादी का भाई है उक्त वाद भूमि मे कोई हक हिस्सा नही लेना चाहता है प्रतिवादीया संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है। मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.30 12:12:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पारिवारिक समझौता रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 99/99 की कुल 5.9190 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि पर वादी अकेला काबिज है व शेष 7/8 हिस्सा भूमि पर तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 11 बहिब काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। अधिवक्ता वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 11 को तर्क अंकित किया की प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 10 का जो भी हक हिस्सा है उन्हे दिया जा रहा है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2072–75 रोही मौजा चक राजासर खाता संख्या 99 प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र पिरागचन्द प्रदर्श–2, वार्ड मेम्बर द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–3 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के दादा के नाम दर्ज है वादी के दादा पिरागचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 11 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 11 का जो भी हक हिस्सा है सुरक्षित रखते हुए उन्हें दिया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.30 12:12:20 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी [illegible] दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 99/99 की कुल 5.9120 हैक्ट भूमि मृतक पिरागचन्द पुत्र अनुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी के दादा पिरागचन्द पुत्र अनुराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 11 है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत सदस्य व वार्ड मैम्बर द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा पिरागचन्द पुत्र अनुराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 11 को जो भी हक हिस्सा है दिया जा रहा है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 99/99 की कुल 5.9120 हैक्ट भूमि मृतक पिरागचन्द पुत्र अनुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक पिरागचन्द पुत्र अनुराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त वाद भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि का वादी को एवं शेष 7/8 हिस्सा भूमि में तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 11 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.30 12:12:20 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 582 / 2023

अनवान : –

1. देव कृष्ण कुमार पुत्र गंगा बिशन जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. गंगाबिशन पुत्र प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मनोज पुत्र गंगाबिशन जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. तनीषा पुत्री गंगाबिशन जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

5. रामी देवी पत्नी प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. लीलाधर पुत्र प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. गीता देवी पुत्री प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. कलावती पुत्री प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. सुनीता पुत्री प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. सन्तोष पुत्री प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. कान्ता देवी पुत्री प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 582 सन 2023 निर्णय दिनांक 28/12/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 99 / 99 की कुल 5.9120 हैक्ट भूमि मृतक पिरागचन्द पुत्र अनुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक पिरागचन्द पुत्र अनुराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त वाद भूमि में से 1 / 8 हिस्सा भूमि का वादी को एवं शेष 7 / 8 हिस्सा भूमि में तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 11 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.30 12:12:20 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर